कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा

क्रमांक एफ ( )एफ.सी.ए./संमुवस/ 2015-16/ Spl. I. Camp-Jhalawar दिनांक :- 3/3/16.
निमित्त :-

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.)
राजस्थान जयपुर।

विषय :- कन्स्ट्रक्शन ऑफ डायवर्जन चैनल फ्रोम फोरेस्ट नाला अण्डर बारां फ्लड़ प्रोटेक्शन स्कीम हेतु 0.4273 हेक्टर वन भूमि अनारक्षण के प्रस्ताव के संबंध में।

संदर्भ :- उप वन संरक्षक, बारां का पत्र क्रमांक 3367 दिनांक 02.03.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण में उप वन संरक्षक, बारां द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित समस्त शर्तो की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जो संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय
3/3/16.
(इन्द्राज सिंह)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No. 07453-230410, Fax No. 07453-230244

कन्स्ट्रक्शन ऑफ डायवर्जन चैनल फ्रोम फोरेस्ट नाला अण्डर बारां फ्लड़ प्रोटेक्शन स्कीम हेतु 0.4273 हेक्टर वन भूमि अनारक्षण के प्रस्ताव

शर्त संख्या	शर्त का विवरण	पालना प्रतिवेदन
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	डायवर्जन चैनल का निर्माण वर्तमान N.S.L. से काफी नीचा होगा। अतः वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन होने की संभावना नही है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 0.4273 हेक्टर पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इस वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/सुरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख-रखाव हेतु 0.4273 हेक्टर X 145925 प्रति हेक्टर की दर से राशि रू. 62354/- यूजर एजेन्सी द्वारा कुल राशि रू. 1653384/- में सम्मिलित कर बैंक में Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund Client Code- CAM 5085, Branch & Code- FCS Branch (0633) में जमा करा दी गई है। (बैंक प्राप्ति रसीद दिनांक 22.02.2016 की छाया प्रति संलग्न है।) 0.4273 हेक्टर वन भूमि के समतुल्स गैर वन भूमि श्रीमान् जिला कलक्टर, बारां के पत्रांक 573-75 दिनांक 30.03.2015 द्वारा सेट-अपार्ट कर दी गई है। (छाया प्रति संलग्न है।)
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल)/202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 53/2007 एफ.सी. दिनां 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्व वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या 037100101025225 आई.एफ.एस. कोड-	एन.पी.वी. हेतु 0.4273 हेक्टर X 626000 प्रति हेक्टर की दर से राशि रू. 267490/- यूजर एजेन्सी द्वारा कुल राशि रू. 1653384/- में सम्मिलित कर बैंक में Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund Client Code- CAM 5085, Branch & Code- FCS Branch (0633) में जमा करा दी गई है। (बैंक प्राप्ति रसीद दिनांक 22.02.2016 की छाया प्रति संलग्न है।)

	CORP0000371 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम) नई दिल्ली लोधी काम्पलेक्स में जमा की जाएगी, जिसके उपरान्त पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक/आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. (जो भी लागू हो) की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना/आज्ञा (जिसमें, जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूरक वृक्षारोपण, आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धन राशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेगें कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों का पालना करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों की पालना की जावेगी।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन बुनियादी ढाँचे के स्थानान्तरण एवं नव निर्माण की लागत धन राशि (लघु वन संरक्षक को अनुमान के अनुसार रू. 50.00 लाख) एवं वन संरक्षक बारां के पास जमा की जाएगी।	वांछित राशि रू. 50.00 लाख का चैक संख्या 436166 दिनांक 09.02.2016 यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र कमांक 4315 दिनांक 09.02.2016 द्वारा उप वन संरक्षक, बारां के पक्ष में देय प्रस्तुत कर दिया गया है। (छाया प्रति संलग्न है) चैक संख्या 436166 दिनांक 09.02.2016 को चालान द्वारा पी.डी. खाते में जमा करा दिया गया है। (छाया प्रति संलग्न है)
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान निम्न शर्तो की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।	
(i)	निर्माण कार्य के दौरान उप वन संरक्षक, बारां के कार्यालय, वन नर्सरी एवं आवासीय परिसर में आवागमन बाधित न होने पाये, इसके लिए प्रयोक्ता अभिकरण का उचित व्यवस्था करनी होगी।	निर्माण कार्य के दौरान उप वन संरक्षक कार्यालय, वन नर्सरी, आवासीय परिसर में आवागमन बाधित होने पर सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से रखने के लिए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यकतानुसार उचित व्यवस्था द्वारा समाधान किया जावेगा।
(ii)	नाले का कार्य पहले राईस मिल साईड से शुरू किया जाएगा।	पालना की जावेगी।

(iii)	राईस मिल का अधिग्रहित क्षेत्र नाला बनने के उपरान्त वन विभाग के कार्यालय में आवागमन हेतु सुरक्षित रखा जाएगा।	नाला निर्माण के उपयोग हेतु अधिग्रहित की गई निजी भूमि पर राज्य सरकार का स्वामित्व होगा, तथा उसके ऊपर कोई अवरोध नही होगा तथा आवश्यकतानुसार सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध हो सकेगी।
(iv)	निर्माणाधीन नाले की मिट्टी कही बाहर नही डाली जाएगी अपितु आवश्यकतानुसार मिट्टी को परिसर में वन अधिकारियों की देख-रेख में उनके द्वारा बताये स्थल पर डलवाकर समतल करवाया जावे।	कार्य करवाने के दौरान पालना करवा दी जावेगी।
(v)	15 मीटर चौड़े नाले पर पूर्ण लम्बाई (वन सीमा) में सी. सी. रोड़ (स्लेब) बनवाई जाए। उक्त वन सीमा में कही भी नाला बिना स्लेब के नही होना चाहिए।	नाला का निर्माण क्वर्ड रूप में किया जावेगा। अतः वन सीमा में कही भी नाला खुले रूप में नही होगा।
(vi)	नर्सरी हेतु बोरवेल एवं पाईप लाईन का कार्य चैनल निर्माण के पूर्व में ही तैयार किया जाएगा।	नर्सरी हेतु बोरवेल एवं पाईप लाईन का कार्य चैनल निर्माण के पूर्व में करवाने हेतु वांछित राशि यूजर एजेन्सी द्वारा जमा करायी गयी राशि रू. 50.00 लाख में सम्मिलित है।
(vii)	वन परिसर में वर्षा के पानी को निकासी की व्यवस्था हर संभव स्थान पर किया जाएगा एवं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नाले के निर्माण के पश्चात् परिसर में जल भराव न हो।	केम्पस के पानी की निकासी की ड्रेनेजेज को नाले के निर्माण के पश्चात् परिसर में जल भराव न हो बाबत् पुनः स्वरूप में बनाने हेतु वांछित राशि इस कार्यालय द्वारा जमा करायी गयी राशि रू. 50.00 लाख में सम्मिलित है।
(viii)	ग्रेवल सड़क के दोनो किनारों पर वन महोत्सव के दौरान लगाये गये पौधो के एवज में पुनः पौधारोपण (Tree Guard) के साथ प्रयोक्ता अभिकरण के खर्चे पर करवाया जाएगा।	लगाये गये पौधों की एवज में पुनः पौधारोपण (Tree Guard) के साथ 57 पेड़ो के विरूद्ध 57 x 10 = 570 पेड़ों को लगाने हेतु 570 x 2322/- प्रति पेड़ो की दर से राशि रू. 1323540/- यूजर एजेन्सी द्वारा कुल राशि रू. 1653384/- में सम्मिलित कर बैंक में Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund Client Code- CAM 5085, Branch & Code- FCS Branch (0633) में जमा करा दी गई है। (बैंक प्राप्ति रसीद दिनांक 22.02.2016 की छाया प्रति संलग्न है।)
(ix)	निर्माण कार्य पूर्ण होने पर उपरोक्त बिन्दु की अनुपालना का प्रमाण-पत्र उप वन संरक्षक, बारां की रिपोर्ट के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा।	पालना की जावेगी।

उप वन संरक्षक
बारां

(147)

AGENCY COPY

A Premier Public Sector Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 12-02-2016

Client Code.	CAM5085
Location.	RAJASTHAN
Remitter Name.	WATER RESOURCE DIVISION IST BARAN
PIF/Application No.	OTHERS114912015257
Address.	Near Manihara, Kota Road, Baran Baran
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	 eewrbaran@gmail.com 9829279692 7453-237148
Amount(in Rs)	1653384/-
Beneficiary Branch and Code.	FCS Branch (0633)

Amount in Words:Sixteen Lakh Fifty-Three Thousand Three Hundred and Eighty-Four Rupees Only

अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड (प्रथम) बारां

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

22 FEB 2016

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (प्रथम) बारां
E-Mail : eewrbaran@gmail.com - Phone No : 07453-237148

दिनांक :–

वचनवद्वता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कन्स्ट्रक्शन ऑफ डायवर्जन चैनल ऑफ फोरेस्ट नाला का निर्माण वन विभाग परिसर की 0.4273 हेक्टयर वनभूमि का उपयोग कर बनाया जाना प्रस्तावित है, यदि भविष्य मे वन विभाग द्वारा एन.पी.वी. की दर मे बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करा दी जावेगी ।

(अजय कुमार त्यागी)
अधिशाषी अभियन्ता,
जल संसाधन खण्ड (प्रथम) बारां

E-CHALLAN
Government Of Rajasthan
Treasury and Accounts Department

Upto:- 20/03/2016 Remitter's Copy for Dept

N :- 0009679943 Date:- 19/02/2016 5:05:00 PM

BarCode:-

Office Name:- Treasury Office, Baran

Location:- BARAN

Year: 01/04/2015 To 31/03/2016

Head(8443)	Amount ₹
8443-00-106-00-00-व्यक्तिगत जमा	5,000,000.00

PDACC NO - 1255-Mandal Van Adhikari Baran

Discount :- ₹ 0.00

Total/Net Amount:- ₹ 5,000,000.00

Fifty Lakh Rupees and Zero Paise Only

Payee Detail

TIN/Actt. no./VehicleNo/TaxId/Lease No:-

PAN No.:-

Remitter Name:- DCF BARAN

Address:- DCF BARAN BARAN- 325205

Remarks: Received from Ex.En. Water Resource Dept.Baran for Compensation of Diversion Chanel by Cheque No. 436166 Dated 09.02.2016 Amount 5000000.00

वन मण्डल अधिकारी बारां

FOR USE IN RECEIVING BANK

Cheque-DD-No.: 436166

Bank CIN No:-

Bank S.B.B.J. BARAN

E-CHALLAN
Government Of Rajasthan
Treasury and Accounts Department

Valid Upto:- 20/03/2016 Remitter's Copy

GRN :- 0009679943 Date:- 19/02/2016 5:05:00 PM

BarCode:-

Office Name:- Treasury Office, Baran

Location:- BARAN

Year: 01/04/2015 To 31/03/2016

Head(8443)	Amount ₹
8443-00-106-00-00-व्यक्तिगत जमा	5,000,000.00

PDACC NO - 1255-Mandal Van Adhikari Baran

Discount :- ₹ 0.00

Total/Net Amount:- ₹ 5,000,000.00

Fifty Lakh Rupees and Zero Paise Only

Payee Detail

TIN/Actt. no./VehicleNo/TaxId/Lease No:-

PAN No.:-

Remitter Name:- DCF BARAN

Address:- DCF BARAN BARAN- 325205

Remarks: Received from Ex.En. Water Resource Dept.Baran for Compensation of Diversion Chanel by Cheque No. 436166 Dated 09.02.2016 Amount 5000000.00

वन मण्डल अधिकारी बारां

FOR USE IN RECEIVING BANK

Cheque-DD-No.: 436166

Bank CIN No:-

Bank S.B.B.J. BARAN

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड (प्रथम) बारां

E-Mail : eewrbaran@gmail.com - Phone No : 07453-237148

क्रमांक / अअ / जस / केश / 2016 / 4315 दिनांक / 09.2.2016

उप वन संरक्षक
बारां

विषय :– कन्स्ट्रक्शन ऑफ डायवर्जन चैनल फ्रोम फोरेस्ट नाला अण्डर बारां फ्लड प्रोटेक्शन स्कीम हेतु 0.4273 हैक्टयर भूमि अनारक्षण के प्रस्ताव के संबंध मे ।

प्रसंग :– आपका पत्र क्रमांक / एफ ( ) एफ.सी.ए. / उवस / 2015–16 / 1768 दिनांक 01.02.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रिय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ द्वारा प्रदान सैद्वान्तिक स्वीकृति की बिन्दु संख्या 6 की पालना मे इस कार्यालय द्वारा चैक संख्या 436166 दिनांक 09.02.2016 राशि रु0 50.00 लाख का भिजवाया जा रहा है ।

कृपया प्राप्ति रसीद भिजवाने की व्यवस्था करावे ।

संलग्न :– चैक संख्या 436166 दिनांक 09.02.2016
राशि रु0 50.00 लाख

(ए0के0 त्यागी)
अधीशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड प्रथम बारां

FORM-1

(for linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector Baran, Rajasthan

No. 1/2015.

Deted- 21 May,2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Mismistry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (FRA for short) on forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxtion in respect of linear projects, it is certified that 0.4273 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Superintendent Engineer Water Resoures, Baran (name of user agency) for Constuction of Diversion Channel of Forest Nalah (purpose for diversion of forest land) in Baran district falls within jurisdiction of Baran City in Baran tansil.

It is Further certified that.

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.4273 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Municipal Council, Sub-Division Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexure- (A) to annexure-(C)

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section, 3(2) of the FRA have been completed Municipal Council has given its consent to it.

(c) the proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and pro agricultural Communities.

(d) As above

Signature

(Lalit Kumar Gupta)
Presedent of District Level committees &
District Collector, Baran

कार्यालय नगर परिषद बारां जिला बारां (राज0)

क्रमांक : दिनांक :

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
बारां

विषय :— बारां शहर बाढ़ बचाव योजनान्तर्गत फोरेस्ट नाले के डायवर्जन चैनल के निर्माण हेतु आवश्यक वन भूमि के सबंध में।

प्रसंग :— श्रीमान का पत्रांक अधि.अभि.जल संसाधन खण्ड प्रथम बारां का पत्रांक 145—146 दिनांक 15.04.2015 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बारां शहर बाढ़ बचाव योजनान्तर्गत फोरेस्ट नाले के डायवर्जन चैनल के निर्माण कार्य हेतु वांछित भूमि में अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी आदिवासी/परम्परागत वन निवासी को कोई अधिकार नही दिये जाने तथा उक्त भूमि का कोई भाग वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधान से प्रभावित नही होते है।

उक्त कार्य में वन भूमि का उपयोग करने में नगर परिषद बारां को कोई आपत्ति नहीं है।

आयुक्त
नगर परिषद,बारां

क्रमांक : 528 दिनांक : 23/04/2015

प्रतिलिपी सूचनार्थ :

1. श्रीमान अधिक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत खण्ड बारां।
2. श्रीमान उपवन संरक्षक बारां।

23/4
आयुक्त
नगर परिषद,बारां

कार्यालय उप जिला कलक्टर बारां

क्रमांक: पीए/2015/ 2166-72 दिनांक 14/5/15

बैठक कार्यवाही विवरण

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बारां के आदेश क्रमांक रीडर/वनाधिकार /15/ 757 दिनांक 30.3.2015 से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2008 तथा संशोधन नियम-2012 के क्रियान्वयन हेतु उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति का गठन किया गया है।

फोरेस्ट नाला डाईवर्जन चेनल निर्माण के संबंध में अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन विभाग बारां से प्राप्त प्रस्ताव पर वनाधिकार समिति के समक्ष चर्चा हेतु उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बारां (पंचायत समिति, बारां) की बैठक दिनांक 14.05.2015 को सायं 5.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें निम्न सदस्यगण उपस्थित हुये :-

1. सहायक वन संरक्षक, वन विभाग बारां (भारसाधक वन अधिकारी) बारां - Present
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति बारां - Present
3. श्री शिवप्रकाश मीना पंचायत समिति सदस्य बारां, ग्राम व पोस्ट थामली तह0 बारां - Absent
4. श्रीमती राजेश बाई मीना पंचायत समिति सदस्य बारां नि0 मडसूई पो0 लिसाडिया - Present
5. श्रीमती सुनीता मीना पंचा0 समिति सदस्य बारां, नि0 ग्राम बैंगना तह0 बारां - Present

सर्व प्रथम समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया। अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन द्वारा फोरेस्ट नाला डाईवर्जन चेनल के निर्माण के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव अनुसार वन विभाग से संबंधित 0.4273 है0 भूमि को लेने हेतु प्रस्ताव निजवाया है। प्राप्त प्रस्ताव/आवेदन का अवलोकन किया गया, तथा इस संबंध में समिति में चर्चा की गई तथा समिति के सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त भूमि पर वनाधिकार से संबंधित कोई मामला आया नहीं हुआ और ना ही विचाराधीन है। समिति के सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त भूमि के फोरेस्ट नाला डाईवर्जन हेतु उपयोग में लेने में नगर परिषद बारां द्वारा पत्र क्रमांक 598 दिनांक 23.4.2015 द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना बताया गया है। इस संबंध में समिति सदस्यों ने चर्चा की एवं सर्व सम्मति से वन विभाग की उक्त भूमि को फोरेस्ट नाला डाईवर्जन चेनल के निर्माण हेतु दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया गया।

उक्तानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाकर बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

18.5.15

हस्ताक्षर समिति सदस्य

उप जिला कलक्टर
बारां

क्रमांक: पीए/2015/ 2166-72 दिनांक 14/5/15

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बारां
2. अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन विभाग बारां
3. सहायक वन संरक्षक, वन विभाग बारां (भारसाधक वन अधिकारी) बारां
4. विकास अधिकारी पंचायत समिति बारां
5. श्री शिवप्रकाश मीना पंचायत समिति सदस्य बारां, ग्राम व पोस्ट थामली तह0 बारां
6. श्रीमती राजेश बाई मीना पंचायत समिति सदस्य बारां नि0 मडसूई पो0 लिसाडिया
7. श्रीमती सुनीता मीना पंचा0 समिति सदस्य बारां, नि0 ग्राम बैंगना तह0 बारां

उप जिला कलक्टर
बारां

FCA

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां(राजस्थान)

क्रमांक/एफ–4( )राजस्व/2014/1573-75 दिनांक 30.3.2015

निमित्तः–

1. उप वन संरक्षक, बारां।
2. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, बारां।

1549
7/4/15
बारां

विषयः–बारां फ्लड प्रोटेक्शन स्कीम के अन्तर्गत फोरेस्ट नाला डायवर्जन चैनल के निर्माण हेतु ली जाने वाली वन भूमि के एवज में अन्य भूमि सेट–अपार्ट करने बाबत्।

प्रसंगः–अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड (प्रथम), बारां का पत्र क्रमांक/अअ/ज.स./2015/4812 दिनांक 11.03.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है। जिसके अनुसार फोरेस्ट नाला डाइवर्जन चैनल के अलांइगमेन्ट में वन विभाग की 0.4273 हैक्टेयर भूमि आती है। यह भूमि बारां गांव के खसरा नम्बर 576 की 2173.759 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 577 की 1985.667 वर्गमीटर एवं खसरा नम्बर 578 की 113.967 वर्गमीटर अर्थात् कुल 0.4273 हैक्टेयर ली जानी है।

इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/5614–20 दिनांक 16.09.14 (छायाप्रति संलग्न) से विभिन्न योजनाओं में आयी 102.34 है0 वन भूमि की एवज में राजस्व भूमि 103.40 है0 सेट–अपार्ट की गयी है।

अतः वन विभाग को दी जाने वाली 0.4273 है0 भूमि को विभिन्न योजनाओं में सेट–अपार्ट की गयी 103.40 है0 की आधिक्य 1.06 है0 भूमि में समायोजन किया जावे।

संलग्न– उपरोक्तानुसार ।

30/3

विशेषाधिकारी,
बारां

क्रमांक/एफ–4( )राजस्व/2014/ दिनांक 2015

प्रतिलिपिः– अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड (प्रथम), बारां।

विशेषाधिकारी,
बारां

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

क्रमांक–एफ–4(5)( )राजस्व/14/5614-20

दिनांक 16.09.2014

—:आदेश:—

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत, बारां द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के एवज में 102.34 है0 गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने हेतु मांग की गई है। उक्त प्रयोजनार्थ तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारां के पत्र क्रमांक 14073 दिनांक 12.09.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत निम्नलिखित भूमि वन विभाग को क्षतिपूर्ति के रूप में आरक्षित (सेट–अपार्ट) की जाती है:–

क.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा न0	रकबा (है0)
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20
			41	5.00
			43	6.52
			114	5.80
			115	9.58
			116	7.70
			138	10.81
			149	3.63
2		सोरसन	8 किता	62.24
			1175	19.76
			1173	19.15
3		ताखा	2 किता	38.91
			368	2.25
		कुल योग	11 किता	103.40 है0

नियमानुसार रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(ललित कुमार गुप्ता)
जिला कलक्टर
बारां

क्रमांक–एफ–4(5)( )राजस्व/14/5614-20
प्रतिलिपि:–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

दिनांक 16.09.2014

1. उप वन संरक्षक, बारां।
2. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा अनुभाग, कलैक्ट्रेट, बारां।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0 वृत, बारां।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 एन0एच0, बारां।
5. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
6. तहसीलदार, अन्ता।
7. रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर
बारां

F:\Khan Rev-Assiptant\Allotment\Allotment other Allotment.doc

Phone No. 07453-237001,237003 Fax No. 237003, 237005 Email Id. dm-brn-rj@nic.in

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

कमाक–एफ–4(5)( )राजस्व / 14 / 7630-36 दिनांक / 9.12.2014

–:संशोधित आदेश:–

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के एवज में गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने हेतु मांग की गई है। उक्त प्रयोजनार्थ तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारां के पत्र कमांक 14073 दिनांक 12.09.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर इस कार्यालय का आदेश कमांक–एफ–4(5)(30)राजस्व / 14 / 5614–20 दिनांक 16.09.14 से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत ग्राम बिलेण्डी, तहसील, अन्ता की आराजी खसरा नं. " 43 " की भूमि वन विभाग को क्षतिपूर्ति के रूप में आरक्षित (सेट–अपार्ट) की गयी थी। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए " खसरा नं. 43 " के स्थान पर " खसरा नं. 42 " पढा जावें शेष आदेश यथावत रहेगा।

नियमानुसार रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

(ललित कुमार गुप्ता)
जिला कलक्टर,
बारां

कमाक–एफ–4(5)( )राजस्व / 14 / 7630-36 दिनांक / 9.12.2014

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. उप वन संरक्षक, बारां।
2. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा अनुभाग, कलैक्ट्रेट, बारां।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0 वृत, बारां।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 एन0एच0, बारां।
5. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
6. तहसीलदार, अन्ता
7. रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर
बारां

Fil Khan Ex - Assistant/Allotment/Section/Forest Allotment

Phone No. 07453-237001, 237003 Fax No. 237003, 237005 Email Id dm-brn-rj@nic.in